न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1452–पी0बी0आर0/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2012 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी विदिशा – प्रकरण क्रमांक 67/2010–11 अपील

1– सिरदार पुत्र मिटठू अहिरवार
ग्राम सुन्ड सालोरा तहसील रायसेन
जिला रायसेन, मध्य प्रदेश
2– बद्री प्रसाद पुत्र मिटठू अहिरवार
3– श्रीमती धुनियावाई पत्नि स्व.मिटठू अहिरवार
4– अर्जुन 5– करन दोनों नावालिग सरपरस्त माता
श्रीमती धुनियावाई पत्नि स्व.मिटठू अहिरवार
निवासीगण ग्राम कटवारा तहसील
व जिला विदिशा, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती राजकुमारी पत्नि गोविन्द अहिरवार
पत्नि कैलाश सिंह अहिरवार
निवासी ग्राम कॉठ तहसील व जिला
रायसेन, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री पॅकज श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 25 – 4 –2016 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 67/2010–11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–4–2012 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम हरसूला तहसील विदिशा में पूरन , सिरदार, दिमान, तुलसीराम, बद्रीप्रसाद के नाम भूमि सर्वे नंबर 149 रकबा 2.947 हैक्टर सामिलाती दर्ज थी, जिसमें से खातेदार पूरन एंव तुलसीराम की मृत्यु होने पर ग्राम की नामान्तरण

पंजी के सरल क्रमांक 19 पर पटवारी हलका नम्बर 52 ने प्रविष्टि दिनांक 20-8-1996 दर्ज कर आवेदकगण को उत्तराधिकारी बताते हुये नामान्तरण प्रमाणित करने हेतु पंजी सरपंच ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की, जिस पर आदेश दिनांक 21.9.96 से सरपंच व्दारा नामान्तरण प्रमाणित किया गया।

नामान्तरण आदेश दिनांक 21.9.96 के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष प्रथम अपील दिनॉक 7-3-2011 को प्रस्तुत की तथा अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन देकर बताया कि जिस समय नामान्तरण आदेश दिया गया है वह नावालिग थी एंव मृतक पूरन की एकमात्र पुत्री होने से बैध वारिस है । अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 67/2010-11 अपील में हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-2012 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा के समक्ष अनावेदक ने नामान्तरण आदेश दिनांक 21.9.96 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनॉक 7-3-2011 को प्रस्तुत की है तथा अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-2012 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 पर आवेदकगण ने आपत्ति यह की है कि अनावेदक ने दिनांक 14-2-11 को पटवारी से नामान्तरण आदेश की जानकारी होना बताया है तथा उसने आलोच्य आदेश दिनांक

21-9-96 की नकल हेतु आवेदन किस दिनांक को दिया है एंव नकल बनकर कब तैयार होकर प्राप्त हुई है - अनुविभागीय अधिकारी ने विचार नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील मेमो के साथ प्रस्तुत नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनावेदक ने प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु दिनांक 14-2-11 को आवेदन दिया है तथा उसे प्रमाणित प्रतिलिपि 17-2-11 को प्राप्त हो गई है जबकि अपील 7-3-11 को प्रस्तुत हुई है और आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में यही आपत्ति की है कि 17-2-11 से 7-3-11 तक व्यतीत अवधि का दिन प्रतिदिन का हिसाव न दिये जाने के वाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने अनुचित विलम्ब को क्षमा करने में भूल की है। इस बिन्दु पर विचार किया गया। अनावेदक स्पष्ट रूप से बता रही है कि जब नामान्तरण आदेश दिनांक 21-9-96 पारित हुआ, वह नावालिग थी। यह तथ्य भी विचारणीय है कि अनावेदक जिला विदिशा में नहीं रहती है अपितु कैलाश सिंह अहिरवार से विवाह होकर वह ग्राम कॉठ तहसील व जिला रायसेन में रहती है। अनावेदक के अभिभाषक के तर्क पर विचार किया जाय - उनका कहना है कि अनावेदक गरीव है एंव प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर उसे पैसों की व्यवस्था करने रायसेन के ग्राम कॉठ में जाना पड़ा । वह गरीव व मजदूर महिला है कानून का ज्ञान नहीं है जब पैसे की व्यवस्था हुई, तब जाकर उसने विदिशा आकर अपील की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश सही है।

1. **परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा 5 - अधिनियम की धारा 5 को श्रृजित कर विधायिका ने इसलिये शक्ति प्रदान की है ताकि न्यायालय पक्षकारों के मध्य होने वाले विषयों को गुणागुण पर निराकृत करने में समर्थ हो सकें।**
   (मणिबेन देवराज शाह बनाम म्युनिसपल कार्पोरेशनआफ ब्रिहान मुम्बई AIR 2012 SC 1269 से अनुसरित)
2. **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 - तथा भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा - 47 - गरीव, अपढ़ एंव पर्दानसीन महिला-**

कानून की बारीकी से अनभिज्ञ - सदभावना-पूर्वक उदार रूख अपना कर विलम्ब क्षमा किया जाना चाहिए।

विचाराधीन प्रकरण में अनावेदक को प्रथमवार दिनांक 14-2-11 को पटवारी के माध्यम से नामान्तरण आदेश की जानकारी मिली है जानकारी के दिन से अनावेदक को प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु 45 दिन की समयावधि है तथा अनावेदक ने महिला होते हुये प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु दिनांक 14-2-11 को आवेदन दिया है तथा उसे प्रमाणित प्रतिलिपि 17-2-11 को प्राप्त हो गई है यदि अनावेदक के अभिभाषक व्दारा दिनांक 17-2-11 से दिनांक 7-3-11 के बीच की अवधि के सम्बन्ध में दिये विवरण पर विचार किया जाय - व्यतीत अवधि सदभावना पर आधारित होना परिलक्षित है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 67/2010-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-2012 विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 67/2010-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर